

आयुक्त,

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,


राज0 जयपुर।

विषय : इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के अन्तर्गत ई-मित्र पर जॉब कार्ड के लिए ऑनलाईन आवेदन करने पर फीस से लाभार्थी को मुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा IRGY-Urban पोर्टल पर जॉब कार्ड के लिए ऑनलाईन आवेदन करने पर ई-मित्र द्वारा ली जाने वाली फीस से लाभार्थी को मुक्त करने एवं फीस का पुनर्भरण स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT & C) को किये जाने की सहमति वित्त विभाग द्वारा जारी की गई है। कृपया इस सम्बन्ध में राज्य के सभी शहरी ई-मित्र संचालको को निर्देशित करने का श्रम करावें।


यह वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 172200639 दिनांक 01.06.2022 द्वारा अनुमोदित है।


(हृदयेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/IRGY (U)/2022-23/44928-45448 दिनांक: 03/06/2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्रीगण (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, विभागाध्यक्ष (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
11. जिला कलेक्टर (समस्त), राजस्थान।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
13. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
14. आयुक्त/अधिकाधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
15. मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक, निदेशालय।
16. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय।
17. श्री अशोक मीणा, एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
18. सुरक्षित पत्रावली।



(महेन्द्र मोहन)

वित्तीय सलाहकार